रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2014/आश्विन 7, 1936
No. 508] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2014/ASVINA 7, 1936

गृह मंत्रालय

(पुलिस-2 प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2014.

सा.का.नि. 700(अ).-----केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में साइबर न्यायालयिक परीक्षक और अपराध घटना स्थल सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, साइबर न्यायालयिक परीक्षक और अपराध घटना स्थल सहायक भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान:-- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि : - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता :-- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :-- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
1	2	3	4
1. साइबर न्यायालयिक परीक्षक	02* (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 3 15,600-39,100 रु0 + (ग्रेड वेतन 5400 रु0)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
5	6
लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण** - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।
7	8
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर इंजीनियरी में इंजीनियरी बैचलर या प्रौद्योगिकी बैचलर या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर अनुप्रयोग या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी मास्टर ; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या प्राइवेट सेक्टर से संबंधित जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध संगठन भी सम्मिलित है में डिजीटल अन्वेषण या कम्प्यूटर न्यायालयिक और साइबर सुरक्षा कार्य में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए	लागू नहीं होता

जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** :- अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**
9	10	11
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	**प्रतिनियुक्ति** (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति** (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी :- **(क)** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300 - 34,800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300 - 34,800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ; और **(ख)** जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । **टिप्पण 1** :-प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण - 2** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
12	13
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति :- 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - **अध्यक्ष** 2. उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - **सदस्य** 3. निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला - **सदस्य**	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1	2	3	4
2. **अपराध घटना स्थल सहायक**	03* (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2 9300-34,800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600/- रू.

5	6
लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण** - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8
आवश्यक : (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैव प्रौद्योगिकी या विशलेषणात्मक रसायन या भौतिकी या न्यायालयिक विज्ञान मास्टर डिग्री ; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में अपराध घटना स्थल के प्राकृतिक प्रवर्तन में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1** :-अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** :-अनुभव संबधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता

9	10	11
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	**प्रतिनियुक्ति** (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति** (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी :- **(क)** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300 - 34,800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; और **(ख)** जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । **टिप्पण 1** :-प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण - 2** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12	13
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति :- 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - **अध्यक्ष** 2. अपर निदेशक/उप निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला - **सदस्य** 3. उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - **सदस्य**	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ई-13(2)/006 /2012/एन.आई.ए. (भाग-6)]

हरीश चन्द्र , निदेशक (पर्स-1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Police-II Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2014.

G.S.R.700(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Cyber Forensic Examiner and Crime Scene Assistant in the National Investigation Agency under the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency, Cyber Forensic Examiner and Crime Scene Assistant Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay band, Grade pay or Pay scale.– The number of the said posts, their classification and the Pay Band, Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.–No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible to be appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	**Number of Post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay or Pay Scale**	**Whether selection or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Cyber Forensic Examiner.	02* *(2014) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group– 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-3; Rs. 15600-39100 (Grade Pay of Rs. 5400).	Not applicable.	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential :– (I) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Technology or Masters' degree in Computer Application/ Computer Science or Information Technology or Master of Technology in Computer Science or Information Technology from a recognised University; and (II) Three years' experience in digital investigation/ computer forensics and cyber security work in Central Government or State Government or Union Territories or Statutory or Autonomous organisations/ Public Sector Undertakings/ Universities/ recognised research institutions/ private sector inter alia including organisations duly listed on stock exchange. **Note.**-1 Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note-**2 : The qualification regarding experience is relaxable at the	Not applicable	Two years for direct recruits	By Deputation (Including Short-Term Contract) failing which by direct recruitment	**Deputation (Including Short Term Contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or recognised research institutions or Universities or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisation : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-2 , Rs. 9300-34800 plus Grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in under column (7). **Note :** 1 Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note :** 2 For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer	Group 'A' Departmental confirmation Committee: 1. Inspector General, National Investigation Agency – Chairman. 2. Deputy Inspector General, National Investigation Agency – Member. 3. Director Central Forensic Science Laboratory-Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.				prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which the grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Crime Scene Assistant.	03* * (2014) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2; Rs. 9300-34800 (Grade Pay of Rs. 4600)	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential :– (I) Master's Degree in Bio-technology/ Analytical chemistry or physics/ forensic science from a recognised university; (II) Three years' experience in crime scene processing in Central Government or State Government or Union Territories or Statutory or Autonomous organisations/ Public Sector Undertakings/ Universities/ Recognised Research Institutions. **Note 1:** Qualifications regarding experience are relexable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation (Including Short- Term Contract) failing which by direct recruitment.	**Deputation (Including Short Term Contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or recognised research institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations; (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	Group 'B' Departmental confirmation Committee : 1. Inspector General, National Investigation Agency – Chairman. 2. Additional Director/ Deputy Director, Central Forensic Science Laboratory – Member. 3. Deputy Inspector General, National Investigation Agency- Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).

otherwise well qualified. **Note** 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.				**Note :** 1 Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note** : 2 For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. E-13 (2)/006/2012/NIA (Pt-VI)]

HARISH CHANDER Director, (Pers-1)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054